संख्या:6/2026/354/35-4-2026/35-4099/42/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:11 मार्च, 2026

विषय: जनपद बस्ती में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद बस्ती की विधानभा क्षेत्र हरैया में शासनादेश संख्या- 23/2020/262/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा राजकीय पॉलीटेनिक, हरैया के भवन निर्माण कार्य की रू0 1853.95 लाख (+जी०एस०टी० नियमानुसार देय) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 227/2021/1945/35-4-2021, दिनांक 15 नवम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप रूप में रू0 726.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-751/20232100/35-4-2023/35-4099/42/2023 दिनांक 28 जुलाई, 2023 द्वारा तृतीय किश्त में रु 463.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई एवं शासनादेश संख्या-02/2025/1474/35-4-2024/ 35-4099/42/2023, दिनांक 03.01.2025 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 462.42 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-29/2025/ 203/35-4-2025/35-4099/42/2023, दिनांक 25.02.2025 द्वारा जी०एस०टी० के रूप में रू0 178.57 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार अब तक कुल रू0 2031.44 लाख (जी०एस०टी० रू0 178.57 लाख सहित) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-91/2025/715/35-4-2024/35-4099/42 / 2023 दिनांक 11 अगस्त, 2025 द्वारा राजकीय पॉलीटेनिक, हरैया के भवन निर्माण कार्य की लागत रु. 1853.95 लाख (+जी०एस०टी० नियमानुसार देय) को रु 2479.11 लाख (जी०एस०टी० सहित) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- आपके पत्रांक- 1374/त्व०आ०वि०यो0/2019-20, दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि के व्यय किये जाने सम्बंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत एतद्वारा उपर्युक्त कार्य की की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष कार्य के अनुबन्ध के अनुसार पी०एफ०ए०डी द्वारा मूल्यांकित लॉगत एवं बचत की धनराशि एवं पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू0 418.63 लाख (रुपये चार करोड़ अठराह लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत (जी०एस०टी० रहित) / पुनरीक्षित लागत (जी०एस०टी० सहित)	कार्य के अनुबन्ध की लागत (अन्य चार्ज/मद रहित)	अनुबन्ध की लागत के आधार पर अन्य चार्ज/मद की लागत	अनुबन्ध की कुल लागत (अन्य चार्ज/मद सहित)	जनपद द्वारा इंगित बचत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक, धर्मपुर निर्माण हरैया के भवन कार्य	1853.95 /2479.11	1847.01	612.11	2459.12	9.05	2031.44	418.63

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 15 नवम्बर, 2021, दिनांक 28 जुलाई, 2023, दिनांक 03 जनवरी, 2025, दिनांक 25 फरवरी, 2025 एवं दिनांक 11 अगस्त, 2025 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संसथा को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को सटेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया किया जाय।
4. प्रायोजना में आकस्मिक व्यय एक प्रतिशत सम्मिलित करते हुये प्रस्तावित [illegible]की लागत पर गणना कर लागत का आंकलन किया गया है। यह धनराशि वास्तविकता के अनुसार देय होगी। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि प्रायोजना के कार्यों की प्रस्तावित लागत रू0 1847.19 लाख में आकस्मिक व्यय अलग से सम्मिलित न हो।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाहय विद्युत कनेक्शन की धनराशि विद्युत विभाग से प्राप्त आगेणन एवं सक्षम स्तर से अनुमोदित आगणन के आधार पर वास्तविकता के अनुसार देय होगी।
6. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

9. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनाक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्य पर होने वाला व्यय रुपये 4,18,63,000/- (रूपये चार करोड़ अठराह लाख तिरसठ तिरसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या:6/2026/354/35-4-2026/35-4099/42/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल ।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, विश्वेसरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-51
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बस्ती।
14- अपर परियोजना प्रबन्धक, बस्ती-इकाई, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, बस्ती।
15- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
16- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
17- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।